चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा / डी0आर0 / 9163
दिनांक : 27.11.2024

विज्ञप्ति

ऐसे छात्र / छात्रा जो चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रथम बार प्रवेश लेते हैं के मूलभूत अभिलेख के रूप में उनका नामांकन प्रपत्र विश्वविद्यालय में संरक्षित रखा जाता है। यह नामांकन प्रपत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्रायः विभिन्न न्यायिक प्राधिकरणों एवं मा0 न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है।

इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या : परीक्षा / ए0आर0 / 8373, दिनांक 18.12.2023 के माध्यम से निर्गत विज्ञप्ति के द्वारा सत्र 2023–24 में प्रविष्ट छात्रों के नामांकन प्रपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाणपत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे। इसी क्रम में सत्र 2024–25 में प्रथम बार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों के नामांकन प्रपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र प्रेषित करने हेतु निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें :–

1. महाविद्यालयों / विभागों से अनुरोध है कि परीक्षा फार्म के साथ नामांकन प्रपत्र एवं मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र न प्रेषित करें।
2. छात्र / छात्राओं को नामांकन संख्या एवं अनुक्रमांक संख्या आवंटित हो जाने के पश्चात महाविद्यालयों / विभागों को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह छात्र का नामांकन प्रपत्र ऑनलाईन पोर्टल से डाऊनलोड कर सकें।
3. नामांकन प्रपत्र में अंकित विवरणों की पुष्टि करते हुए छात्र / छात्राओं के हस्ताक्षर के साथ–साथ महाविद्यालय / विभाग के प्राचार्य / विभागाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन प्रपत्र एवं उसके साथ मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए एक साथ विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के सम्बन्धित पटल को प्रेषित करें ताकि नामांकन प्रपत्रों को नियमानुसार संरक्षित किया जा सके। यदि किसी छात्र / छात्रा के विवरणों में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होती है तो यह छात्र / महाविद्यालय का दायित्व होगा कि वह विश्वविद्यालय में नामांकन प्रपत्र प्रेषित करने से पूर्व इनमें आवश्यक सुधार करवा लें।
4. परीक्षा विभाग में नामांकन प्रपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाण पत्र जमा करते समय सम्बन्धित पटल सहायक / प्रभारी से पावती प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
5. विश्वविद्यालय में जमा कर देने के पश्चात नामांकन प्रपत्र में किसी भी प्रकार के सुधार / संशोधन हेतु आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. ऐसे महाविद्यालय / विभाग जिनके नामांकन प्रपत्र एवं मूल माईग्रेशन प्रमाण पत्र ससमय प्राप्त नहीं होंगे के परीक्षा परिणाम निरूद्ध कर दिये जायेंगे।

27/11/24
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

01. प्राचार्य / प्राचार्या / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय / संस्थान / विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
02. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वयैक्तिक सहायक, निदेशक (अकादमिक) को, निदेशक (अकादमिक) जी के सूचनार्थ।
04. वयैक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
05. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. वयैक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
07. उप कुलसचिव / प्रभारी (परीक्षा / नामांकन अनुभाग / कमैटी सेल / अति गोपनीय विभाग / गोपनीय / लेखा)।
08. प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र / विश्वविद्यालय वेबसाईट।
09. समस्त कर्मचारी परीक्षा विभाग / व्यवसायिक परीक्षा अनुभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता / प्रभारी–कम्प्यूटर केन्द्र / विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समस्त एजेन्सियों को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रथम वर्ष में प्रविष्ट छात्रों के अनुक्रमांक एवं नामांकन आवंटित करने के पश्चात् महाविद्यालयों / विभागों को नामांकन प्रपत्र डाऊनलोड करने का विकल्प उपलब्ध करायें।
12. विश्वविद्यालय पूछताछ–केन्द्र / सूचना पट।

27/11/24
उप कुलसचिव (परीक्षा)